सुशीला देवी बनाम् नरेश यादव
वाद सं० 132/23 धारा-144 द०प्र०सं०

24.10.23 अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित।

आदेश

आवेदिका सुशीला देवी पति नन्दलाल यादव सा० द्वारपहरी, थाना-बिरनी, जिला गिरिडीह के आवेदन पर थाना प्रभारी बिरनी के जाँच प्रति० के आलोक में मौजा-द्वारपहरी, थाना-बिरनी जिला गिरिडीह के खाता सं० 22 प्लॉट न० 230 रकबा 23 डी० मध्ये 2.1 डी० भूमि जिसकी चौहद्दी उ० नीज द० रास्ता पू० नीज वो गुरुदयाल कुम्हार प० नीज टांड़ पर द० प्र० सं० की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया। दिनांक 26/8/23 को उक्त आशय का नोटिस निर्गत करते हुए उभय पक्ष को उक्त जमीन पर जाने अथवा कोई कार्य करने से भी प्रतिबंधित किया गया। उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष विभिन्न तिथियों को न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना लिखित कारण पृच्छा प्रस्तुत किए। अभिलेख में उपलब्ध प्रथम पक्ष के आवेदन, प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष का कहना है कि विवादित भूमि उनकी खरीदगी भूमि है जो उन्होंने केवाला सं० 1160 दिनांक 07/9/21 द्वारा खरीदा है। आगे उनका यह भी कहना है कि उक्त भूमि का दाखिल खारिज करवा कर वह लगान रसीद भी प्राप्त करती चली आ रही है साल ही विपक्षी उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अपने दावे के समर्थन में प्रथम पक्ष केवाला की छाया प्रति तथा लगान रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत करते हैं।

आ०

प्रथम पक्ष अपने कारण दृच्छा में यह भी कहते हैं कि द्वितीय पक्ष के द्वारा उनके पति से सादे कागज पर दस्तखत लेकर फर्जी एग्रीमेन्ट तैयार किया है तथा उक्त फर्जीवाड़े को लेकर उनके पति ने द्वितीय पक्ष के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी गिरिडीह के न्यायालय में परिवाद पत्र 6967/2023 भी दायर किया है। इस प्रकार द्वितीय पक्ष फर्जी एग्रीमेन्ट के आधार पर जमीन में विवाद उत्पन्न कर रहा है।

वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का अपनी लिखित कारण दृच्छा में कहना है कि प्रथम पक्ष के पति ने दो एग्रीमेन्ट के जरिए उन्हें विवादित भूमि तथा अन्य भूमि बिक्री किया है तथा कुल 13,35,000/- (तेरह लाख पैंतीस हजार रु.) भी लिया है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि निबंधन नहीं करने के लिए प्रथम पक्ष के द्वारा झुठा मुकदमा दायर किया गया है। उनका आगे यह भी कहना है कि जमीन पर उनका दखल कब्जा है तथा उन्होंने उस पर मकान भी बनवाया है।

अभिलेख में उपलब्ध प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कारण दृच्छा, अंचल अधिकारी बिरनी का जाँच प्रतिवेदन, थाना प्रभारी बिरनी का जाँच प्रतिवेदन, प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित केवाला तथा रसीद इत्यादि की छाया प्रति, द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित एकरारनामा की छाया प्रति का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि उक्त भूमि पर हक-हकियत तथा लेन-देन से संबंधित विवाद है। जिसका निपटारा द.प्र.सं. की धारा-145 के तहत संभव नहीं है।

आदी

(3)

अत: उक्त वाद में किसी पक्ष के हित में कोई आदेश पारित करना न्यायोचित नही है। उभय पक्षों को निदेशित किया जाता है कि सक्षम न्यायालय में अपना-अपना दावा प्रस्तुत कर विवाद का निपटारा कर लें। तब तक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे।

उक्त आशय के साथ द॰प्र॰सं॰ की धारा 144(5) के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 24/10/23
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

(हस्ताक्षर) 24.10.23
अनुमंडल पदाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.07.18 14:55:44 +05:30
Location: 192.168.167.238